जाता है, एफ० सी० आई० उनको भुगतान कर देता है। इसमें और कोई अनियमितता हो तो माननीय सदस्य हम लोगों को बतायेंगे तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री शांति त्यागी : माननीय सभापति जी, बहुत सी जगहें यू० पी० में, हरियाणा में और पंजाब में बेमौसम की बारिश की वजह से जब वह फसल उठ रही थी, भाग गया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि सरकारी एजेंसियों ने भीगे-हुए गेहूं को खरीदने से इंकार कर दिया था।

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, इसकी ऐसी कोई सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आयी है कि सरकारी एजेंसी ने लेने से इंकार किया हो। और कोई जानकारी त्यागी जी को हो तो हम लोगों को बतायें, उसको हम देखेंगे।

श्री शांति त्यागी : इनको अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है!

श्री सभापति : आप बता दीजिए।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: There is a wide gap between the procurement of wheat and paddy and the issue price of wheat and rice. It is reported in the press that the Bhanu Pratap Singh Committee has recommended for the abolition of the Food Corporation of India and to replace it by 'Food Stamp'. I would like to know, what is the reaction of the Government in this regard to abolish lock stock and barrel this* Food Corporation of India ...

MR. CHAIRMAN: You use parliamentary language.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I am withdrawing that word *and replacing it with the words 'white elephant'. Does the Government propose to abolish this white elephant Food Corporation of India and replace it by Food Stamp so that both the producer as well as the consumer could get some help? I would like to seek this information from the Minister.

श्री राम पूजन पटेल : माननीय सभापति जी, भारतीय खाद्य निगम को जहां माननीय सदस्य ने कहा कि समाप्त कर दिया जाए मैं समझता हूं किसानों का गेहूं बिचौलिया जो खरीदेगा, व्यापारी जो खरीदेगा वह कम दाम में खरीदेगा और जो हम खरीदते हैं वह ज्यादा रेट पर खरीदते हैं। उनके द्वारा खरीदने पर उपभोक्ता और उत्पादकता दोनों को बड़ा नुकसान होगा। सरकार हमेशा यह सोचती है कि खाद्यान्न को वसूल करके सुरक्षित रखे और इसके लिए वह कृषकों को लाभकारी मूल्य भी देता है। सरकार यह भी चाहती है कि अनाज का स्टॉक बनाए रखा जाए जिससे उपभोक्ताओं को हमेशा मिलता रहे और इसलिए भारतीय खाद्य निगम को समाप्त करना है मैं समझता हूं न देश के हित में होगा और न ही जनहित में होगा।

Development of Usar Land

*125. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a large area of Usar land in Uttar Pradesh and other States and if so, the details thereof; State-wise, indicating the area as in 1950 and in 1990;

(b) whether a Seminar on Usar Revolution was organised recently at Faizabad, UP and if so, the details thereof and the follow up action taken in this regard; and

(c) whether there have been similar seminars/discussions in the past on this subject organised by the ICAR/Agricultural Universities, Central Soil Salinity Research Institute, Karnal etc. and if so, the details thereof and follow up action taken thereon and the achievements made so far?

*Not recorded.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) Sir, the area under Usar Land is estimated to be over 7 million hectares. State-wise break-up is available for 1975 and is as follows:

State	Area in M ha	State	Area in M ha
Uttar Pradesh	1·295	Maharashtra . .	0·534
Gujarat	1·214	Orissa	0·404
West Bengal	0·850	Karnataka	0·404
Rajasthan	0·728	Madhya Pradesh . . .	0·224
Punjab	0·688	Andhra Pradesh . . .	0·042
Haryana . .	0·526	Other States	0·101
		TOTAL . . .	7·010

(b) A Seminar on Usar Reclamation was held at N. D. University of Agriculture & Technology, Faizabad in 1989. The Seminar recommended that waterlogging and salinity in usar lands should be tackled on priority basis. Research priorities for Usar Reclamation for Eastern U.P. have been formulated in accordance with the recommendations made in the seminar.

(c) In the past, State Agricultural Universities, ICAR and Central Soil Research Institute, Karnal have organised seminars on different aspects of salinity reclamation techniques. Some of the seminars held in the recent past are:

(i) International Symposium on Principals and Practices for Reclamation and Management of Salt Affected Lands (18—21 February, 1980).

(ii) National Symposium on Drainage of Waterlogged and Salt Affected Lands (11—14 February, 1986).

(iii) International Symposium on Afforestation of Salt Affected Soils (16—20 February, 1987).

(iv) National Symposium on Management of Irrigation Systems (24—27 February, 1988).

The recommendations made in the Seminar have helped in formulating programmes. The technology generated through the research has been effectively made use of by the states concerned. It is estimated that about 400,000 ha of saline area has been reclaimed and converted into productive soils in Punjab, Haryana and U.P. during the last decade.

श्री शकील हाशमी : जनाबे सदर, उत्तर प्रदेश बिहार और बहुत सारे राज्यों में यह बंजर, ऊसर जमीन और जल जमाव की इतनी गम्भीर समस्या आजादी के पहले से चली आ रही है। अगर उन जमीनों को काबिलेकाश्त बना दिया जाए तो इस मुल्क की गरीबी का मसला हल हो सकता है। इस सिलसिले में सूखी जमीनों को आबाद करने के लिए रंगारंग सेमिनार हुआ करते हैं, पार्टियां हुआ करती हैं, नशिश्तंदो, गुफ्तंदो, बख्तन हुआ करता है, वैसे ही बात की, अच्छा खाना खाया और बर्खास्त किया। लेकिन उनकी सिफारिशात दो तरह से लागू हो सकती हैं। एक तरह तो यह हो सकती है कि सरकार उन पर अमल करती और दूसरे इस तरह हो सकती है कि उन उपायों को ब्लाक लेवल, गांव के लेवल और किसानों

तक काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के जरिये उनको जानकारी दी जाती । लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

इसलिए यह हंसी खेल हटा पड़ता जीवन जिनका,
किसलिये उनसे फकत भूख हुआ करता है ।

मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इन बातों को दूर करने के लिए समय के किस मुद्दत के अन्दर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों की ऊसर, बंजर और जल जमाव वाली कितनी प्रतिशत जमीन को एक साल के अन्दर काबिले काश्त, आबाद और सरोजादाब बना देंगे ?

श्री नितिश कुमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सेमिनार के संबंध में पूछा था, इसलिए उसकी जानकारी देना आवश्यक थी कि सेमिनार से लाभ हुआ है। जहां तक इसके टेक्नोलाजिकल पक्ष का सवाल है, इसके दो पक्ष हो सकते हैं । एक टेक्नालाजी का रिसर्च पक्ष है और दूसरा प्रोजेक्ट पक्ष है जिसके संबंध में बता दिया गया है । जहां तक इसके द्वारा अनुभव और उसके नतीजों से लाभ उठाने का सवाल है, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ऊसर लैण्ड के सुधार के लिए, उसके रिक्लेमेशन के लिए, योजना चल रही है जिसके तहत काफी जमीन का रिक्लेमेशन किया गया है। इस साल 1990-91 के दौरान भी इसको जारी रखेंगे । इस वर्ष का लक्ष्य 35 हजार हैक्टियर जमीन का है जिस पर 5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

श्री शमीम हाशमी : इस सिलसिले में मिडिल ईस्ट की कन्ट्रीज में ऊसर जमीन को शादाब करने के लिए नई टेक्नोलोजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है और उसमें सफलता भी मिली है । ईजराइल, मऊदी अरेबिया और जार्डन के डेजरटेड इलाकों में इस टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके जमीन के बहुत बड़े हिस्से को जो ऊसर थी हरा-भरा बना दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या उस टेक्नोलाजी का सहारा लिया गया है और यदि लिया गया है तो उस पर क्या अमल हुआ है, उसका क्या रिजल्ट हुआ है और यदि नहीं लिया गया है तो क्या उस टेक्नोलोजी का इस्तेमाल हिन्दुस्तान की ऊसर और बेहड़ जमीन को शादाब बनाने में किया जाएगा ?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, सवाल टेक्नालाजी के अभाव का नहीं है । इसमें लेटेस्ट टेक्नोलोजी सक्षम है । सेन्ट्रल सायल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टिटयूट, करनाल और आल इंडिया कोआर्डिनेटर्स रिसर्च प्रोजेक्टस आफ रिक्लेमेशन आफ सायल के सात सेन्टर हैं । इसमें कोई दिक्कत नहीं है । उनके कार्यक्रम हैं और क्या कार्यक्रम लिये जाते हैं, मैं पढ़कर बता सकता हूं । यह लगभग तीन पृष्ठ का है।

श्री सभापति : टेबल पर रख दीजिये।

श्री नितिश कुमार : यह उपलब्ध है, टेक्नालाजी का अभाव नहीं है । हम उसका उपयोग करके रिक्लेमेशन का काम कर रहे हैं । इस वर्ष का लक्ष्य बता दिया है । हर साल उसको करने का विचार है और इसको आगे बढ़ाने का भी विचार है ।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I will ask the hon. Minister a supplementary. If somebody owns the land, he can reclaim it provided you help him. But there are large tracts of land which are owned by the State which are lying waste. There are laws which prohibit cultivation of such land. Will the hon. Minister make any concession in this regard, or any observation in this regard that such lands as are owned by the state which are fallow or *banjar* or saline will be allowed to be cultivated by persons who are willing to cultivate those lands and you will give them necessary assistance for that purpose? There is a dicerence between proprietory land and State land. There is a ban on State lands being cultivated, but those are lying

waste. With rising population and the need for more production, will the hon. Minister consider the desirability of a programme whereby such lands which are lying waste can be cultivated by cultivators and they can be assisted for that purpose?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, जहां तक लैण्ड के रिक्लेमेशन का सवाल है उसके लिये सरकार कंसटेंट वर्क करना चाहती है। जो वेस्ट लैण्ड है, पड़ी हुई जमीन है, उसको फारमर्स को देने का जहां तक सवाल है, यह राज्य का विषय है। और उसके रिक्लेमेशन के लिये हर राज्य में एक भूमि सुधार निगम या बोर्ड का गठन किया गया है राज्य स्तर पर, और किया जा रहा है। लेकिन जहां तक किसानों को देने का सवाल है, विलिंग पर्सन्स को देने का सवाल है, यह राज्य का विषय है, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I understand that it is *'rajya ka vishay'* but I also understand that the Central Government can persuade the State Governments so that they rise to the occasion, permit their lands to be cultivated by the people by giving them assistance. This way, these lands which are lying fallow for years together can be put to productive use for meeting the needs of the country.

श्री नितिश कुमार : यह सजेशन फार ऐक्शन है।

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार का जो भौगोलिक नक्शा है उसमें उत्तरी बिहार जहां बाढ़ से भरा रहता है वहीं दक्षिणी बिहार का बहुत अधिक एरिया जो है वह ऊसर या बंजर है और वह स्वायल कंजरवेशन के कई परीक्षण हो चुके हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र ने क्या इस पर कोई रिपोर्ट तैयार की है और क्या भारत सरकार छोटा नागपुर एरिया के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये और वहां की बंजर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिये कोई विशेष केन्द्र खोलने का विचार करती है।

श्री नितिश कुमार : इसका उत्तर तो दिया ही जा चुका है। सभापति महोदय, केन्द्र द्वारा स्पांसर्ड स्कीम जो है उसमें सभी जगह ऊसर लैंड को विकसित करने के लिये, उसके रिक्लेमेशन की योजना है। यह स्कीम बिहार के लिये भी है और हर जगह इससे लाभ उठाया जा सकता है।

श्री सभापति : ये छोटा नागपुर के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : आदिवासी क्षेत्रों में विशेषरूप से इसके लिये अनुसंधान केन्द्र खोलने के बारे में सरकार से पूछ रहा हूं।

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, अनुसंधान केन्द्र की कोई जरूरत नहीं है। आलरेडी रिसर्च के आस्पेक्ट को कवर करने के लिये कितने सेंटर्स हैं वे सक्षम हैं। लेकिन जहां तक छोटा नागपुर के बारे में उन्होंने कहा है, अभी पिछले महीने छोटा नागपुर में 28-29 जुलाई को आई.सी.ए.आर. के द्वारा निरसा पि विश्वविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। उसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल थे, साइंटिस्ट भी थे। उस सेमीनार के नतीजों की प्रतीक्षा की जा रही है। उस सेमीनार के नतीजे मिलने पर सरकार उन पर ध्यान देगी।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, ऊसर वर्से तृण नहीं जामा। उसर में कितना ही जल बरसे लेकिन उसमें घास भी पैदा नहीं होती है। इसलिये जो मंत्री महोदय ने बताया है कि 5 करोड़ रुपया हमने ऊसर धरती को उर्वर करने के लिये रखा है यह बहुत ही कम है, यह एक तरह का मजाक है। मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिये धनराशि बढ़ाई जाये।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब तक सरकार ने कितनी अनउर्वरा ऊसर जमीन को उर्वरा किया और इस पर सरकार ने

कितना खर्च किया है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की कितनी जमीन को उर्वरा कर रहे हैं। साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या फायदा हुआ है और क्या फायदा होने वाला है। इसका सिलसिलेवार डाटा प्रस्तुत करने की कृपा करें, आपके माध्यम से मंत्री जी से यही मेरा प्रश्न है।

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, इस सरकार का आये हुए आठ महीने ही हुए हैं। जो भी संभव हो रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है। अभी किसान दशक की घोषणा हुई है उससे भी इस क्षेत्र में असर पड़ेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है अब तक वहां पर 133345 हेक्टेयर ऊसर लैण्ड का रिक्लामेशन किया गया है और आगे जो 35 हजार हेक्टेयर का टारगेट है उसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा होगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सभापति महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि इससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या फायदा हुआ है और इससे कितना अधिक उत्पादन हुआ है? यह भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री नितिश कुमार : जब ऊसर जमीन में खेती होने लगेगी तो उत्पादन बढ़ेगा ही।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: टालने की कोशिश मत कीजिये। कहिये आपके पास जवाब नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय के पास अगर इसका इस समय जवाब नहीं है तो आप आश्वासन दिलायें कि ये यह सब सूचना कलेक्ट करके अपने मंत्रालय द्वारा मुझे भिजवा देंगे।

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय, इसे मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप निर्णय दें कि क्या यह इससे संबंधित है। अगर यह पूछें तो फिगर दी जा सकती हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। जिस ऊसर भूमि में कुछ नहीं होता था रिक्लेमेशन अगर उसका हो गया तो उत्पादन बढ़ेगा ही।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उसका मैं विवरण चाहता हूं कि क्या प्रगति हुई है। अगर आपकी सरकार कोई विवरण नहीं रखती है कि उससे क्या फायदा होता है और क्या उपलब्धि होती है **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप बता दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री नितिश कुमार : फिगर्स हम भेज देंगे। **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह आपको भेज देंगे।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, having been the Governor of Andhra Pradesh, you are aware of the perennial problem in the cyclone-affected coastal areas of Andhra Pradesh. Every year salinity appears in various fields, and the Government of India has agreed to carry gypsum for the salinity-affected lands. Mr. Devi Lal, as Deputy Prime Minister, had promised to supply railway wagons, free of cost, to carry gypsum from Visakhapatnam to the Cyclone-affected areas. Now, with the expulsion of the Deputy Prime Minister, will the Government pursue or follow up the promise given by the then Deputy Prime Minister to suyply railway wagons, free of cost, to carry gypsum from Visakhapatnam to the cyclone-affected Krishna, Guntur, and Godavari districts?

श्री नितिश कुमार : सभापति महोदय इसका कोई अलग से सवाल पूछें तो रेल मंत्री जवाब दे सकते हैं। इसके रिक्लेमेशन का जहां तक सवाल है उसके लिए रिक्लेमेशन की योजना बनाई जा रही है।

श्री सभापति : आन्ध्र प्रदेश है साइक्लोंस के साथ यह परमानेंट क्वैश्चन है। इसके साथ सेलिनिटी आती है जिसके लिए जिप्सम की जरूरत होती है। कृषि

मंत्री ने जो वायदा किया था उसे आप पूरे करेंगे दैट इज़ ग्रांल। या इरादा पूरा करने का नहीं है (**व्यवधान**)।

श्री नितिश कुमार : रिक्लेमेशन के संबंध में जो वायदा किया गया है वह पूरा किया जाएगा। रेल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं (**व्यवधान**)

श्री सभापति : बस आप पूरा करेंगे। पेमेंट आप करेंगे या वो करेंगे यह तो अपने घर की बात है।

*126. [*The questioner (Shri Bal Ram Singh Yadava and Shrimati Kailashpati) were absent. For answer* vide *col.* 35-36 infra.]

*126. [*The questioner (Shri Syed Sibtey Razi) was absent. For answer* vide col 36 infra]

*128. [*The questioner (Prof. Sourendra Bhattacharjee) was absent, For answer* vide *col.* 37 infra.]

Prohibition of Employment of Child Labour

†129. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:+
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the State Governments have been asked to take concrete steps for prohibiting the employment of child labour in occupations where a ban has already been imposed in this regard; and

(b) if so, what action has been taken so far by the different State Governments?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

+The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

Statement

Inspections are conducted by the enforcement authorities of the State Governments/Union Territory Administrations for detecting violations of the provisions of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and the Factories Act, 1948, and prosecutions launched against the employers concerned, wherever necessary. According to available information, 230 prosecutions under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and 1233 prosecutions under the Factories Act 1948 have been launched during 1988-89.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the point is, the statement of the Minister is absolutely evasive. He only says that there has been some amount of so-called inspections in different parts of the country and the people who have been hauled up for violation number only 230. This number only indicates how faulty the Government machinery is. Sir, the point is, because of increased pauperization of the people, increase of poverty and lack of employment for adult population, adult members of families are being forced to arrange for employment of child labour in a big way in the country. Therefore, we cannot do away with child labour. If we cannot do away with hunger, we cannot do away with child labour. Therefore, my point is, in view of this fact, what steps the Government contemplates to take to create better working conditions for the child labour in the country?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय जैसे कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि बाल श्रमिक की जो समस्या है वह गरीबी से जुड़ी हुई है और जब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होता है तब तक बाल श्रमिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार ने दो क्षेत्र बनाए हैं। एक वह क्षेत्र है जहां पूर्ण रूप से उनको प्रतिबंधित किया गया है जिसमें माइंस फैक्टरीज इत्यादि हैं। इसके लिए 1986 में एक कानून भी बनाया गया था। दूसरे क्षेत्र हैं जैसे चाय की दुकान और